रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15062021-227631
CG-DL-E-15062021-227631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 15, 2021/ज्येष्ठ 25, 1943
No. 326] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 15, 2021/JYAISTHA 25, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जून, 2021

सा.का.नि. 410(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 740(अ), तारीख 27 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, उन सभी प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को 27 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ;

अत:, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीन माह पश्चात् प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त् नियम कहा गया है) के नियम 115 में,--

(क) उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्रत्येक मोटर यान, बैटरी चालित यानों और 01 मार्च, 1990 से पूर्व निर्मित यानों से भिन्न को ऐसी स्थिति में रखा जाएगा और इस प्रकार चलाया जाएगा कि इन नियमों में विहित मानकों का अनुपालन कर सके ।";

(ख) उपनियम (2) में,--

(i) "टीएपी दस्तावेज सं0 115 और 116" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात् "या एआईएस 137 यथालागू" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "दस्तावेज सं0 एमओरआरटीएच/सीएमवीआर/टीएपी-115-116" शब्द, अंक और अक्षर के पश्चात् "या एआईएस 137 यथालागू" शब्द, अंक और अक्षर अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (iii)(क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(iii)(क) उपरोक्त खंड (i) या खंड (ii) के अनुसार परीक्षण के दौरान प्राप्त उत्सर्जन परिणाम, समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137(भाग 8) में यथा अभिकथित, जैसा भी मामला हो, यान स्वामी के मोबाइल नम्बर के सत्यापन के पश्चात् राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के प्ररूप 59 में इलेक्ट्रानिक रूप से तैयार किए जाएंगे ।";

(iv) खंड (iii)(ख) का लोप किया जाएगा ।

3. उक्त नियमों के नियम 116 में,--

(क) उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात् :--

"(1) नियम 115 के उपनियम (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अधिकारी, जो पुलिस उपनिरीक्षक या मोटर यान निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि कोई मोटर यान नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों का अनुपालन नहीं कर रहा है, किसी प्राधिकृत प्रदूषण नियंत्रण परीक्षण स्टेशन में उत्सर्जन के मानकों को मापने का परीक्षण करने के लिए यान को प्रस्तुत करने हेतु सीधे चालक या यान के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को लिखित या इलेक्ट्रानिक मोड के माध्यम से निर्देश दे सकता है ।

(2) यदि चालक या यानों का प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई यान नियत सात (07) दिनों की अवधि के भीतर नियम 115 के उपनियम (2) का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो यान का स्वामी अधिनियम की धारा 190 की उपधारा (2) के अधीन विहित शास्ति के लिए दायी होगा :

परंतु यदि स्वामी अनुपालन करने में असफल रहता है, ऐसी अवधि तक वैध "प्रदूषण नियंत्रण" प्रमाणपत्र तैयार नहीं होता है, तो रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण लिखित में अभिलिखित कारणों से यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और प्रदान किए गए किसी भी परमिट को निलंबित कर देगा ।

(3) नियम 115 के उपनियम (2) के उपबंधों के अनुपालन के लिए मापन नियम 126 में निर्दिष्ट किसी एजेंसी या राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान, नागपुर-440001 द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित एआईएस 137 के अनुसार अनुमोदित किस्म के लिखत का उपयोग करके किया जाएगा ।

(ख) उपनियम (4), उपनियम (5), उपनियम (6), उपनियम (7), उपनियम (8) और उपनियम (9) का लोप किया जाएगा ।

IndiaCode

4. उक्त नियमों में, प्ररूप 58 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप 59

[नियम 115(2) देखें]

<u>प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र</u> द्वारा प्राधिकृत :सरकार

तारीख: दिन/मास/वर्ष क्यूआर कोड समय : घंटा:मिनट:सेकेंड पूर्वाह्न/अपराह्न वैधता : दिन/मास/वर्ष

प्रमाणपत्र क्र.सं. : रजिस्ट्रीकरण सं. : रजिस्ट्रीकरण की तारीख : विनिर्माण का मास और वर्ष : वैध मोबाइल नं0 :.....(जिसमें केवल अंतिम चार अंक दृश्यमान हों) उत्सर्जन मानक : ईंधन: पीयूसी कोड : जीएसटीआईएन : फीस : एमआईएल अवलोकन : हां/नहीं (यदि "हां" तो अस्वीकृति पर्ची)

रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ वाहन का फोटो 60मिमी X 30 मिमी	

क्र .सं.	**प्रदूषक (जैसा लागू हो)**	**यूनिट्स (जैसा लागू हो)**	**उत्सर्जन सीमा**	**मापा गया मान (2 दशमलव स्थानों तक)**
1	2	3	4	5
खराब उत्सर्जन	कार्बन मोनोआक्साइड (सीओ)	प्रतिशतता (%)		
	हाइड्रोकार्बन, (टीएचसी/एचसी)	पीपीएम		
अधिक खराब उत्सर्जन	सीओ	प्रतिशतता (%)		
	आरपीएम	आरपीएम	2500± 200	
	लम्डा	-	1± 0.03	
धूआं का घनत्व	प्रकाश अवशोषण गुणक	1/मीटर	माध्य	एकल रीडिंग

यह पीयूसी प्रमाणपत्र राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के माध्यम से प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है, जिसे किसी भी

IndiaCode

हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण : 1. यान स्वामी अपने मोबाइल नंबरों को https://vahan.parivahan.gov.in पर लाग इन करके रजिस्ट्रीकृत यान से लिंक करें ।

पीयूसी संचालक की मोहर के साथ अधिकृत हस्ताक्षर (राज्य के लिए वैकल्पिक) 60 मिमी X 20 मिमी

"प्ररूप 59-क

[नियम 115(2) देखें]

<u>प्रदूषण नियंत्रण – अस्वीकृति पर्ची</u> **द्वारा प्राधिकृत :** **.....सरकार**

IndiaCode

तारीख: दिन/मास/वर्ष समय : घंटा:मिनट:सेकेंड पूर्वाह्न/अपराह्न वैधता : दिन/मास/वर्ष

प्रमाणपत्र क्र.सं. : रजिस्ट्रीकरण सं. : रजिस्ट्रीकरण की तारीख : विनिर्माण का मास और वर्ष : वैध मोबाइल नं0 :.....(जिसमें केवल अंतिम चार अंक दृश्यमान हों) उत्सर्जन मानक : ईंधन: पीयूसी कोड : जीएसटीआईएन : फीस :

इसके लिए पीयूसी को अस्वीकृत किया गया (नीचे दिए गए किसी भी कारण से)	
एमआईएल "आन"	आन बोर्ड निदान, मल फंक्शन इंडिकेशन लैंप (एमआईएल) को इंजन शुरु करने के पश्चात् "आन" की स्थिति में देखा गया

उत्सर्जन मान	उत्सर्जन मान केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के अधीन निर्धारित सीमा से अधिक

परिणाम बाक्स, यदि आवश्यक हो तो मुद्रित किया जा सकता है

यान स्वामियों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सर्विस ओर मरम्मत के पश्चात् यान को फिर से प्रस्तुत करें ।

यह पीयूसी प्रमाणपत्र राष्ट्रीय मोटर यान रजिस्टर के माध्यम से प्रणाली द्वारा तैयार किया गया है, जिसे किसी भी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण : 1. यान स्वामी अपने मोबाइल नंबरों को https://vahan.parivahan.gov.in पर लाग इन करके रजिस्ट्रीकृत यान से लिंक करें ।

पीयूसी संचालक की मोहर के साथ प्राधिकृत हस्ताक्षर (राज्य के लिए वैकल्पिक) 60 मिमी X 20 मिमी

रजिस्ट्रीकरण प्लेट के साथ वाहन का फोटो 60 मिमी X 30 मिमी"।

[फा. सं. आरटी-11036/94/2020-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 393(अ), तारीख 7 जून 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th June, 2021

G.S.R. 410(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 740 (E), dated the 27th November, 2020 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Official Gazette on which the said notification were made available to the public on the 27th November, 2020;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: —

1. Short Title and commencement. -(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Thirteenth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force three months from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115, -

(a) for sub rule (1), the following shall be substituted, namely: -

"Every motor vehicle, other than battery operated vehicles and those manufactured prior to the first day of March 1990, shall be maintained in such condition and shall be so driven so as to comply with the standards prescribed in these rules.";

(b) in sub rule (2), -

(i) after the words, letters and figures " TAP documents Nos. 115 and 116", the words, letters and figures " or AIS 137, as applicable" shall be inserted;

(ii) after the words, letters and figures "Document No. MoRTH/CMVR/TAP-115-116", the words, letters and figures " or AIS 137, as applicable" shall be inserted;

(iii) for the clause (iii)(a), the following shall be substituted, namely: -

"(iii) (a) The emission results obtained during testing as per clause (i) or clause (ii) above, shall be electronically generated in the Form 59 from the National Register of Motor Vehicles after verification of mobile number of the vehicle owner, as the case may be, as laid down in AIS 137 (Part 8) as amended from time to time.";

(iv) clause (iii) (b) shall be deleted.

3. In the said rules, in rule 116, -

(a) for sub rules (1), (2) and (3), the following sub- rules shall be substituted, namely: -

"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rule (7) of rule 115 any officer not below the rank of Sub-Inspector of Police or the Inspector of Motor Vehicles who has reason to believe that a motor vehicle is not complying with the provisions of sub-rule (2) of rule 115, to communicate in writing or through electronic modes to direct the driver or any person in-charge of the vehicle to submit the vehicle for conducting the test to measure emission values in the vehicle at any one of the authorized Pollution Under Control testing stations.

(2) If the driver or person in-charge of the vehicles fails to submit the vehicle for compliance or the vehicle fails to comply with sub-rule (2) of 115 within the stipulated period of seven (07) days, the owner of the vehicle shall be liable for penalty prescribed under sub-section (2) of section 190 of the Act:

Provided that, If the owner fails to comply, the registering authority shall, for reasons to be recorded in writing, suspend the certificate of registration of the vehicle and any permit granted, until such time a valid "Pollution under Control "certificate is generated.

(3) The measurement for compliance to the provisions of sub-rule (2) of rule 115 shall be carried out using the instrument type approved in accordance with AIS 137, as amended from time to time, by any agency referred to in rule 126 or by the National Environmental Engineering Research Institute, Nagpur-440 001."

(b) Sub-rules (4), (5), (6), (7), (8) and (9) shall be omitted.

4. In the said rules, after the FORM 58, the following Forms shall be inserted, namely: -

"Form 59

[See rules 115 (2)]

IndiaCode

Pollution Under Control Certificate

Authorised by:

Government of XXXX

Date:dd/mm/yyyy

QR CODE

Time: hh:mm:ss AM/PM

Validity upto: dd/mm/yyyy

Certificate SL. No.:

Registration No.:

Date of registration:

Month & Year of Manufacturing:

Valid Mobile Number: ……(only last four digits to be visible)

Emission Norms:

Fuel:

PUC Code:

GSTIN:

Fees :

MIL observation : Yes / No (if "Yes" then Rejection Slip)

IndiaCode

Vehicle Photo with Registration plate 60 mm x 30 mm	

Sr. No.	Pollutant (as applicable)	Units (as applicable)	Emission limits	Measured Value (upto 2 decimal places)
1	2	3	4	5
Idling Emissions	Carbon Monoxide (CO)	percentage (%)		
	Hydrocarbon, (THC/HC)	ppm		
High idling emissions	CO	percentage (%)		
	RPM	RPM	2500 ± 200	
	Lambda	-	1± 0.03	
Smoke Density	Light absorption coefficient	1/metre	mean	single reading
This PUC certificate is system generated through the national register of motor vehicles and does not require any signature.				

Note : 1. Vehicle owners to link their mobile numbers to registered vehicle by logging

to https://vahan.parivahan.gov.in

Authorised Signature with stamp of PUC operator (Optional for State) 60mm x 20 mm

Form 59-A
[See rules 115 (2)]

Pollution Under Control – Rejection Slip Authorised by : Government of XXX

Date :dd/mm/yyyy **Time :** hh:mm:ss AM/PM **Validity upto:** dd/mm/yyyy

IndiaCode

Certificate Sl. No.: Registration No.: Date of Registration: Month and Year of Manufacturing: Valid Mobile Number: ……(only last four digits to be visible) Emission Norms : Fuel : PUC Code : GSTIN : Fees :

PUC is rejected for (any one of below reasons)	
MIL "ON"	The on board diagnostics , Mal function indication lamp (MIL) was observed "ON" condition after starting the engine
Emission Values	The emission value exceeds the limits prescribed under the Central Motor Vehicles Rules, 1989

Result box, if required, may be printed

The vehicle owners are advised to resubmit the vehicle after service and repair to complement the PUC requirements.

This PUC certificate is system generated through the national register of motor vehicles and does not require any signature.

Authorised Signature with stamp of PUC operator (60mm x 20 mm)

Note :1. Vehicle owners to link their mobile numbers to registered vehicle by logging to https://vahan.parivahan.gov.in

Vehicle Photo with registration plate 60 mm x 30 mm".

[F. No. RT-11036/94/2020-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 393 (E), Dated 7th June, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.15 21:02:24 +05'30'